

महत्वपूर्ण एवं खास

सब्जी बनाने से मना करने पर डंडे से सिर पर मारकर पत्नी की हत्या, आरोपी गिरफ्तार

रायगढ़/ रैरूमखुर्द। पुलिस चौकी रैरूमखुर्द अंतर्गत दिनांक 27/05/2021 को ग्राम बोकीटोला पतरापारा में एक युवक अपनी पत्नी को इसलिए डंडे से पीटकर हत्या कर दिया क्योंकि उसकी पत्नी रात को सब्जी बनाने से इंकार की। आरोपी को रैरूम पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया है। रिपोर्टकर्ता महेश एका पिता पौलुस एका उम्र 25 वर्ष ग्राम बोकीटोला पतरापारा दिनांक 27/05/2021 को चौकी रैरूम में सूचना दिया कि उसके चचेरे भाई अभिलाल एका उसकी पत्नी की डंडे से मारकर हत्या कर दिया है। सूचना पर चौकी प्रभारी जेम्स कुचूर घटनास्थल पहुंचे। सूचनाकर्ता महेश एका बताया कि दिनांक 27/05/2021 के सुबह करीब 06:00 बजे इसका चचेरा भाई अभिलाल एका घर आकर बताया कि मुझसे बड़ी गलती हो गई है। पूछने पर बताया कि क्षमा एका 32 वर्ष अब इस दुनिया में नहीं है। तब उसके साथ उसके घर क्षमा एका को देखने गया। अभिलाल के घर में उसकी पत्नी क्षमा एका घर अंदर जमीन में मृत पड़ी थी माथा, सिर में चोट लगा था देखकर अभिलाल एका से क्या किये हो पूछने पर अभिलाल एका बताया कि बीते रात्रि (दिनांक 26/05/2021) को अपने पत्नी क्षमा एका को सब्जी बनाने के लिए बोला, सब्जी नहीं बनाने पर गुस्से में आकर क्षमा एका को बांस के डंडा से सिर माथा में मार कर हत्या कर दिया। रिपोर्टकर्ता महेश एका के रिपोर्ट पर आरोपी अभिलाल एका के विरुद्ध अप.क्र. 98/2021 धारा 302 भादवि पंजीबद्ध कर आरोपी अभिलाल एका पिता चमारा एका उम्र 35 वर्ष निवासी ग्राम बोकीटोला पतरापारा चौकी रैरूमखुर्द थाना धरमजयगढ़ को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया है।

कोरोना काल के दौरान अपने कर्तव्यों के निर्वहन में लापरवाही बरतने के कारण तीन ग्राम पंचायत सचिव हुये निलंबित

रायगढ़। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ. रवि मित्तल ने जनपद पंचायत रायगढ़ ग्राम पंचायत भेलावाटिकरा के पंचायत सचिव पंडितराम राठिया, ग्राम पंचायत बंगूरसिया के पंचायत सचिव नानकून राठिया एवं ग्राम पंचायत कोतरलिया के पंचायत सचिव नेपाल राठिया को कोरोना जैसे विशेष गंभीर परिस्थितियों में अपने कर्तव्यों के निर्वहन में लापरवाही बरतने, बिना पूर्व सूचना के अनुपस्थित रहने, 16 पंजी संधारण नहीं करने एवं उच्चाधिकारियों के आदेशों का पालन नहीं करने के कारण तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। निलंबन अवधि में तीनों पंचायत सचिव का मुख्यालय जनपद पंचायत रायगढ़ निर्धारित किया गया है।

एसडीएम ने किया होम आईसोलेशन का निरीक्षण

रायगढ़। कलेक्टर भीम सिंह ने सभी एसडीएम को होम आईसोलेशन में रहने वाले मरीजों के घरों की रेण्डम जांच करने के निर्देश दिये हैं। जिसके तहत एसडीएम रायगढ़ युगल किशोर उर्वशा ने जूटमिल क्षेत्र एवं बनसिया गांव का औचक निरीक्षण किया। यहां उन्होंने लोगों द्वारा गाईड लाईन का पालन किया जा रहा है या नहीं इसकी जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने मरीजों से भी बातचीत की और उनका हालचाल जाना तथा उन्हें कोविड गाईड लाईन्स का पालन करने के निर्देश दिये। इस दौरान नायब तहसीलदार विक्रांत राठौर व राजस्व विभाग के अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे।

चक्रधर बाल सदन की पूर्व अधीक्षिका साविता गिरफ्तार

» लम्बे समय से थी फरार, टीआई मनीष नागर दबाव बनाये तो पहुंची न्यायालय समर्पण करने



रायगढ़। पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह द्वारा लंबित अपराधों की सूक्ष्मता से समीक्षा कर प्रकरण के निकाल के संबंध में थाना, चौकी प्रभागियों को दिशा निर्देशित किया जाता है। उनके द्वारा थाना कोतवाली के लंबित अपराध क्रमांक 1458/2018 धारा 409 भादवि की आरोपिया सविता साव की गिरफ्तारी के लिये किये गये प्रयासों पर असंतुष्ट होकर टीआई मनीष नागर को मुखबिर एवं स्टाफ आरोपिया की गिरफ्तारी के लिये लगाकर शीघ्र गिरफ्तारी का निर्देश दिया गया था। कोतवाली पुलिस लगातार आरोपिया की गिरफ्तारी के लिये उसके घर व मिलने के ठिकानों पर दबिश दे रही थी। अन्ततः पुलिस का बड़ता दबाव देख

आरोपिया सविता साव आज दिनांक 28/05/2021 को न्यायालय समर्पण करने जाने की सूचना कोतवाली पुलिस को मिली। कोतवाली पुलिस द्वारा अंतर्गत दिनांक 02-06-2018 को समाप्त कर चक्रधर बाल सदन पद का संपूर्ण प्रभार मनोरमा साहू को सौंपने उन्हें 03 बार पत्र जारी किया गया जिसके बावजूद सविता साव प्रभार नहीं दी। तब संस्था को सुब्यस्थित संचालन के लिए कार्यालयीन अभिलेखों को सुपुर्द लेने हेतु समीति गठित कर दिनांक 04-07-2018 को पंचनामा तैयार कर अभिलेखों को सुपुर्द में लिया गया। इस दौरान स्टोर रूम को खोलकर पड़ताल करने पर पूर्व के ट्रस्ट के समय बंद पड़े अलमारी का ताला टूटा था, जिसमें रखे नगदी एवं सोने चांदी के जेवर गायब

थे, पूछताछ पश्चात संस्था के अन्य सदस्यों द्वारा साविता साव के द्वारा ताला तोड़वाने एवं समानों को गायब करवाने की बात कहने पर आरोपिया साविता साव पिता रूपधर साव उम्र 36 वर्ष साकिन केलो बिहार चन्द्र नगर फेस-2 थाना चक्रधरनगर के विरुद्ध अपराध धारा 409 भादवि के तहत अपराध पाये जाने पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना दौरान आरोपिया का हर संभव पता तलाश किया गया, कई बार उसके घर में दबिश दी गई पर उसके परिजनों द्वारा साविता साव के बारे में किसी प्रकार की जानकारी नहीं होना बताया। आज दिनांक 28-05-2021 को माननीय न्यायालय रायगढ़ के समक्ष समर्पण करने पश्चात विवेचक द्वारा मान0 न्यायालय से अनुमति प्राप्त कर उसे गिरफ्तार कर ज्यूडिसियल रिमाण्ड प्राप्त किया गया है।

40 लीटर महुआ शराब के साथ आरोपी गिरफ्तार, सारंगढ़ पुलिस की कार्रवाई

सारंगढ़। दिनांक 27.5.2021 के दोपहर सारंगढ़ पुलिस द्वारा मुखबिर सूचना पर बरदाहा स्टाप डेम नाला किनारे आरोपी दिनेश यादव पिता बुद्ध राम यादव उम्र 25 वर्ष साकिन बरदाहा थाना सारंगढ़ के पास से 40 लीटर महुआ शराब कीमती 4,000 रुपये जप्त किया गया। जानकारी के अनुसार थाना सारंगढ़ के प्रधान आरक्षक टीकाराम खटकर हमराह आरक्षक पुषेन्द्र जाटवर, विमल जांगड़े के साथ देहात व टाउन रवाना हुये थे, तभी इन्हें ग्राम बरदाहा के दिनेश यादव नाम के व्यक्ति गांव के स्टाप डेम नाला किनारे अवैध शराब बनाकर बिक्री के लिए छुगार रखने की सूचना मिली, जिस पर पुलिस स्टाफ मुखबिर के बताए स्थान पर घेराबंदी कर रेड कर दिनेश यादव को पकड़े। अवैध शराब बिक्री के संबंध में दिनेश यादव से पूछताछ करने पर नाला किनारे स्थित झाड़ी से 15 लीटर क्षमता वाली डालडा के डिब्बा, 10 -10 लीटर क्षमता वाली जरकिन एवं 5 लीटर क्षमता वाली जरिकेन में भरा कुल



मात्रा 40 लीटर करीब 4,000 रुपये को निकाल कर पेश किया और अवैध रूप से बिक्री करना स्वीकार किये, जिसे जप्त कर आरोपी को हिरासत में लेकर थाना लाया गया। आरोपी के विरुद्ध धारा 34(2),59(क) आबकारी एक्ट की कार्यवाही कर रिमांड पर भेजा गया है।

पूंजीपथरा-घरघोड़ा मार्ग पर अवैध परिवहन करते 21 टन स्कैप के साथ ट्रक जब्त

» कबाड़ के अवैध कारोबार पर अंकुश लगाने कोतवाली पुलिस की एक और कार्रवाई



रायगढ़। पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह के निर्देशन पर अवैध कबाड़ पर अंकुश लगाने कोतवाली पुलिस द्वारा आज पुनः मुखबिर सूचना पर मुख्य मार्ग में नाकेबंदी कर अवैध कबाड़ परिवहन में लिस एक ट्रक को पकड़ा गया है, ट्रक का चालक करीब 9 लाख रुपये के 21.600 एमटी स्कैप को पूंजीपथरा प्लांट में खपाने के लिये लेकर जा रहा था। जानकारी के अनुसार आज सुबह कोतवाली टीआई मनीष नागर को मुखबिर से सूचना मिली कि ट्रक एमएच-28 एबी-8117

में अवैध कबाड़ लोड होकर पूंजीपथरा की ओर जा रही है। सूचना पर कार्यवाही के लिये थाने से सहायक उपनिरीक्षक दिलीप बेहरा के हमराह स्टाफ वेलकम दाबा के पास नाकेबंदी कर कार्यवाही के लिये भेजा गया। स्टाफ द्वारा आज दोपहर करीब 14:30 बजे मुखबिर के बताये ट्रक को रोका गया जिसके पीछे

तिरपाल ढका हुआ था। कोतवाली स्टाफ द्वारा ड्रायवर को कार्यवाही की जानकारी देकर उसके ट्रक के तिरपाल को हटाकर देखा गया। ट्रक में कबाड़ समान स्कैप- छड़, सरिया के टुकड़े, पुराने मोटरसाइकिल का पार्ट्स वजन 21.600 मेट्रिक टन कीमती करीब 9,00,000 रुपये का लोड था। ट्रक का चालक मोहम्मद शरीक से पूछताछ करने पर खड़ापुर, पश्चिम बंगाल से कबाड़ सामान लोड कर बिक्री के लिए एम.एस. स्टील प्लांट पूंजीपथरा रायगढ़ लेकर जाना बताया तथा कबाड़ समान का कोई कागजात नहीं होना बताया। कोतवाली पुलिस द्वारा चोरी की संपत्ति होने के संदेह पर ट्रक समेत वाहन को जप्त कर उर्दना पुलिस लाइन परिसर में सुरक्षित रखा गया है तथा वाहन चालक मो. शरीक पिता मो. फारूक उम्र 25 साल निवासी मालीपुरा मलकापुर थाना मलकापुर जिला बुलढाणा (महाराष्ट्र) के विरुद्ध थाना कोतवाली में धारा 41(1+4) सीआरपीसी/379 आईपीसी की कार्यवाही कर आगे कार्यवाही की जा रही है। उक्त कार्यवाही में टीआई कोतवाली मनीष नागर, सहायक उपनिरीक्षक दिलीप सिंह शत्रिय, प्रधान आरक्षक शंकर सिंह क्षत्रिय, आरक्षक हेम प्रकाश सोन, अभय यादव की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

नवविवाहिता की आत्महत्या मामले में पति, सास व ससुर पर दहेज हत्या का अपराध दर्ज

» तीनों आरोपी गिरफ्तार कर भेजे गए रिमांड पर, ग्राम गोडम की घटना



सारंगढ़। थाना सारंगढ़ अंतर्गत ग्राम गोडम में रहने वाली नवविवाहिता प्रमिला भारद्वाज पति उमेश भारद्वाज उम्र 22 वर्ष के मृत्यु के संबंध में थाना सारंगढ़ में दर्ज मांग क्रमांक 55/2021 धारा 174 सीआरपीसी की जांच दौरान मृतिका के वारिसानों का कथन लिया गया। जांच पर पाया गया कि मृतिका की शादी माह जून 2020 को सामाजिक रीति रिवाज से गोडम निवासी उमेश भारद्वाज 24 वर्ष के साथ हुई

थी। शादी के दो-चार दिन बाद से ही प्रमिला को उसका पति तथा ससुर दुलेश्वर भारद्वाज 50 साल, सास धानबाई 48 साल द्वारा दहेज में मायके से फिज, सोफा, दीवान नहीं लाई हो कहकर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करते थे। दिनांक 22/05/2021 को भी प्रमिला का उसके पति, सास-ससुर से इसी बात को लेकर

लड़ाई झगड़ा हुआ था जिस पर प्रमिला खाना नहीं बनाऊंगी हम लोग अलग रहेंगे बोली और अपने भाई को ससुराल बुलाई। उसका भाई उन्हें आकर समझाया और दूसरे दिन 23/05/2021 को कॉल कर हाल चाल जानना चाहा तो प्रमिला का उसके पति, सास-ससुर से इसी बात को लेकर

आत्महत्या कर ली है। मर्ग जांच पर मृतिका के पति, सास-ससुर से प्रताड़ित होकर फांसी लगाकर आत्महत्या करना पाए जाने पर मर्ग जांच से दिनांक 26/05/2021 को पति, सास-ससुर पर अपराध क्रमांक 288/2021 धारा 304-बी, 34 भादवि के तहत अपराध पंजीबद्ध कर किया गया। संवेदनशील मामले की विवेचना एसडीओपी सारंगढ़ द्वारा की जाकर आज तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।

पुलिस की कड़ी नाकेबंदी में पशु तस्कर ट्रक को छोड़ भागे कोसीर पुलिस की कार्रवाई



दिनांक 27.05.21 के रात्रि गस्त, देहात पेट्रोलिंग दौरान थाना प्रभारी कोसीर निरीक्षक रूपेन्द्र नारायण साय को मुखबिर से सूचना मिली कि एक 12 चक्का ट्रक में सरसीवा तरफ से मवेशी लोड होकर सारंगढ़ तरफ जा रही है। सूचना पर थाना प्रभारी हमराह स्टाफ के साथ कार्यवाही करने ग्राम परसदा बड़े रवाना हुये। मुख्य मार्ग पर थोड़ी देर बाद एक ट्रक 12 चक्का सरसीवा की ओर से तेज रफतार में आती देखी जिसे पुलिस स्टाफ हाथ दिखाकर रोकने का इशारा किये पर ट्रक का चालक वाहन न रोके सारंगढ़ की ओर आगे भागने लगा। जिसका कोसीर पुलिस पीछा कर रही थी, ट्रक का चालक पुलिस से बचने गाड़ी

इतनी तेज भगा रहा था कि भारतमाता चौक सारंगढ़ के पास लॉकडाउन के दौरान सड़क पर रखे हुए ड्रम को तोड़ते हुए ट्रक को भगाया। दानसरा बेरियर में भी स्टाफ रोकने का प्रयास किये नहीं रूका और सराईपाली रोड में भागने लगा जिसके बाद ट्रक का चालक मानिकपुर और बटाउपाली के बीच मेन रोड में ट्रक को छोड़कर भाग गया। ट्रक को चेक करने पर ट्रक क्रमांक सीजी 14 डी 0531 के डाला में टूस-टूसकर 44 रास मवेशी को क्रूरतापूर्वक लोड किया गया था, जिसमें 01 रास मवेशी की मृत्यु हो गई थी। शेष 43 रास मवेशी एवं एक ट्रक वाहन को जप्त कर कोसीर पुलिस कब्जे में ली। मवेशियों को केडार के अमलडीह गौशाला में रखवाया गया है। ट्रक के चालक पर थाना प्रभारी द्वारा अप.क्र. 104/2021 धारा विरुद्ध 279 आईपीसी एवं छोग0 कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम की धारा-4,5,6,10,11 (क) के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। ट्रक के चालक एवं मालिक का पता लगाया जा रहा है।

के.जी.कालेज के प्राध्यापकों ने कोरोना पीड़ितों के लिये भोजन व्यवस्था में दिया सहयोग

रायगढ़। वैश्विक स्तर पर कोरोना संक्रमण की विकरालता से सुरक्षित रहने के लिये जहां एक ओर कोरोना से सुरक्षा संबंधी जागरूकता का प्रसार जरूरी है, वहीं इसकी चपेट में आ चुके लोग जो कोविड सेंटर में रहकर ठीक होने की उम्मीद में हैं, को कोरोना की भयावहता व अपने परिजनों से भी न मिल पाने की त्रास के बीच ढांडस बंधाने एवं कष्ट व भय की स्थिति में उनके साथ होने का अनुभव कराने के प्रयास स्वरूप रायगढ़ जिले के अग्रणी महाविद्यालय किरोड़ीमल शासकीय कला एवं विज्ञान महाविद्यालय रायगढ़ के प्राचार्य डॉ.अंजनी कुमार तिवारी के निर्देशानुसार एवं



डॉ.आनंद शर्मा के (विभागाध्यक्ष महाविद्यालय के यूथ रेडक्रास डॉ.ए.के.तिवारी, वरिष्ठ प्राध्यापक डॉ.ए.के.मेहर, डॉ.पी.बी.बैस, मार्गदर्शन में सोसायटी के माध्यम से प्राचार्य, डॉ.ए.के.मेहर, डॉ.पी.बी.बैस,

डॉ.आनंद शर्मा, डॉ.प्रति षडंगी, अशोक पटेल, उत्तरा सिदार, श्रीमती विनीता पांडे, श्रीमती रंजना साहू, सुश्री रीनू मिश्रा, डॉ.श्वेता तिवारी, सुश्री लक्ष्मी कुंर, श्रीमती पुनम थवाईत, डॉ. रश्मि यादव, डॉ.सुषमा पटेल (यूथ रेडक्रास प्रभारी), अमित धर दुबे, तापस चटर्जी क्रीड़ा अधिकारी के आर्थिक संयोजन से शासन, प्रशासन एवं नगर निगम के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ समन्वय करते हुये रायगढ़ नगर के कोविड सेंटर में भर्ती कोरोना पीड़ितों की 5 दिवसीय (23 से 27 मई 2021 प्रतिदिन 100) भोजन व्यवस्था की गई। इस व्यवस्था में शामिल प्राचार्य एवं

प्राध्यापकों द्वारा कोरोना पीड़ितों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर अपने परिजनों के मध्य पहुंचने की कामना करते हुये शीघ्रातिशीघ्र इस महामारी से मानवता को मुक्त करने की प्रार्थना की गई। महाविद्यालय के यूथ रेडक्रास सोसायटी, एनएसएस एवं एनसीसी के स्वयं सेवकों के द्वारा कोविड-19 जागरूकता एवं प्रचार-प्रसार कार्यक्रमों में सक्रिय भूमिका रही है। इसमें यूथ रेडक्रास सोसायटी के माध्यम से मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के द्वारा महाविद्यालय के अधिकारियों-कर्मचारियों के साथ-साथ जिले के सभी महाविद्यालयों के प्राचार्यों/यूथ रेडक्रास प्रभारियों

की बैठक लेकर शासन के निर्देशों का पालन करने के साथ-साथ कोविड-19 जागरूकता एवं प्रचार-प्रसार में सक्रियता लाने के लिये प्रेरित किया जाता रहा है। स्वास्थ्य अधिकारियों की टीम की उपस्थिति में यूथ रेडक्रास स्वयंसेवकों को प्रशिक्षण दिया गया। महाविद्यालय में कोविड-19 जागरूकता एवं प्रचार-प्रसार समिति का गठन किया गया। इसके अंतर्गत महाविद्यालय के सभी प्राध्यापकों को एक-एक कक्षा कोविड-19 के जागरूकता एवं प्रचार-प्रसार के लिये सौंपा गया। प्राध्यापकों द्वारा विभिन्न कक्षाओं के छात्र-छात्राओं के माध्यम से पूरे जिले में विभिन्न

माध्यमों से कोविड-19 जागरूकता एवं प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों के लिये यूथ रेडक्रास प्रभारी डॉ.सुषमा पटेल के द्वारा 11 मई 2021 को रक्तदान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिसमें महाविद्यालय के 5 विद्यार्थियों के द्वारा रक्तदान किया गया। यूथ रेडक्रास स्वयंसेवकों के द्वारा दवाई वितरण, टेली कालिंग, रक्तदान आदि के माध्यम से कोविड-19 मरीजों की सेवा के लिये सहमति प्रदान की। स्वयंसेवकों के द्वारा 45 प्लस एवं 18 प्लस कोविड-19 टीकाकरण के लिये सक्रियता से प्रचार-प्रसार किया जा रहा है।